

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ० प्र० सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग,
लखनऊ।

संख्या : 4113-सप्र-11/पाकालि-2012-14-स०प्र०/2011

दिनांक : 14 सितम्बर, 2012

सूचना

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० (मुख्यालय) के मिनिस्टीरियल संवर्ग के समस्त अधिकारियों/अधिकारिकों, पावर कारपोरेशन लिमिटेड(मुख्यालय) से उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० में प्रतिनियुक्ति पर तैनात उक्त संवर्ग के अधिकारियों/अधिकारिकों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि समयबद्ध वेतनमान की नयी व्यवस्था के अन्तर्गत कारपोरेशन के आदेश सं०-835-काविनी एवं वे०प्र०-29/पाकालि/2011-13 काविनी एवं वे०प्र०/09, दिनांक 08-09-2011 के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए०सी०पी०) लागू होने की तिथि 19-02-2009 से जिन कार्मिकों को प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन में से कोई भी वित्तीय स्तरोंन्नयन देय हो गया हो तो वे उक्त की स्वीकृति हेतु निम्न तालिकानुसार सूचना सहित अपना आवेदन सचिवालय प्रशासन अनुभाग-11 को ~~विज्ञापित~~ दिनांक 30 सितम्बर, 2012 तक अवश्य प्रस्तुत करें :-

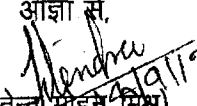
दिनांक 19-02-2009 से लागू ए०सी०पी० के अनुसार देय प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय वित्तीय स्तरोंन्नयन की अनुमन्यता की तिथि	देय/अनुमन्यता की तिथि को प्राप्त वेतन बैण्ड/ वेतन स्तर	देय/अनुमन्यता की तिथि को प्राप्त ग्रेड वेतन
1	2	3

निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या : 4113(1)-स०प्र०-11/पाकालि/2012, तै०दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, (मुख्यालय) के समस्त अधिकारियों/निजी सचिवों/ प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों/निजी सचिवों को इस आशय से कि वह अपने अधीनस्थ उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड के मिनिस्टीरियल संवर्ग के समस्त अधिकारियों/अधिकारिकों को उक्त सूचना से तत्काल अवगत करा दें।
- अनु सचिव (मानव संसाधन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन लखनऊ।
- अनु सचिव (कार्मिक एवं प्रशासन), उ०प्र० जल विद्युत निगम लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- सूचना पट।
- कट फाइल।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र मोहन मिश्र)
अनु सचिव (स०प्र०)